न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 369/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– राजूराम पुत्र कंवराराम 2– भूराराम पुत्र किस्तुराराम 3– श्रीमती ईमरती पत्नी मोडाराम 4– पूराराम पुत्र मोडाराम 5– जीयाराम पुत्र किस्तुराराम 6– गंगाराम पुत्र भोमाराम 7– वगताराम पुत्र भोमाराम 8– गुमनाराम पुत्र लालाराम 9– हरखाराम पुत्र किस्तुराराम 10–जितेन्द्र पुत्र किस्तुराराम 11–देवेन्द्र पुत्र किस्तुराराम सभी जातियान जाट निवासीगण रामसर का कुंआ, तहसील व जिला बाडमेर		1– राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामसर का कुंआ तहसील व जिला बाडमेर जरिये प्रधानाचार्य गौतम गोदारा पुत्र मांनाराम गोदारा जाति जाट निंवासी रावतसर तहसील व जिला बाडमेर 2– अणदाराम पुत्र गिरधारीराम 3– चम्पादेवी पत्नी अचलाराम 4– भीखाराम पुत्र अचलाराम 5– बन्नाराम पुत्र अचलाराम 6– धर्माराम पुत्र अचलाराम 7– चैनाराम पुत्र वीरमाराम 8– लाधूराम पुत्र वीरमाराम 9– धन्नाराम पुत्र वीरमाराम 10–गोमाराम पुत्र वीरमाराम 11–प्रहलादराम पुत्र मोडाराम 12–रूपाराम पुत्र लालाराम 13–तुलछाराम पुत्र लालाराम 14–गुमनाराम पुत्र भोमाराम 15–विरधाराम पुत्र लालाराम 16–अमरसिह पुत्र किस्तुराराम 17–वीरमाराम पुत्र कानाराम 18–मगाराम पुत्र चेतनराम 19–बालाराम पुत्र चेतनराम 20–लुम्बाराम पुत्र चेतनराम 21–मेगाराम पुत्र ईशराराम 22–साजनराम पुत्र ईशराराम 23–हुकमाराम पुत्र ईशराराम 24–देवाराम पुत्र ईशराराम 25–तारादेवी पत्नी ईशराराम 26–गेनाराम पुत्र रामाराम 27–बांकाराम पुत्र रामाराम 28–माडूदेवी पत्नी रामाराम सभी जातियान जाट निवासीगण रामसर का कुंआ तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1345/2018 अनवान राजस्थान आदर्श उ0 मा0 वि0 रामसर का कुआं बाडमेर बनाम अणदाराम वगैरा मे दिनांक 18–6–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थिति:–

1–श्री एम0एल0खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री ओमप्रकाश चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 28–12–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मै एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि रेस्पो0 विद्यालय के नाम से खसरा नंबर 889/736 रकबा 03 बीघा, खसरा नंबर 936/810 रकबा 02 बीघा गै.मु.भवन एवं खसरा नंबर 930/809 रकबा 2 बीघा गै.मु.स्कूल मैदान मौजा रामसर कुआं पंटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील बाडमेर मे आई हुई है, जिस पर विद्यालय का कब्जा चला आ रहा है तथा विद्यालय भवन बना हुआ है । प्रत्यर्थी संख्या 1 विद्यालय की उपरोक्त भूमि के सेढा सेढ ही अपीलांटगण व अन्य प्रत्यर्थीगण की भूमि आई हुई है । प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं अपीलार्थीगण तथा अन्य प्रत्यथीगण के खेतो के बीच किसी प्रकार की कोई पक्की माठे तथा सीमा चिन्ह नही होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं अपीलार्थीगण के बीच कब्जे को लेकर तनाजा एवं विवाद बना रहता है तथा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण हर समय आबादी भूमि के सेढे को आगे पीछे करते रहते है तथा मना करने पर लडाई झगडा कर मारपीट करने को उतारू रहते है तथा विद्यालय भवन के चारो ओर पक्के नेखम कायम न होने के कारण लोग अवैद्य रूप से कब्जा करने पर प्रयासरत रहते है इसलिए उक्त विवाद को निबंटाने के लिए उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद दोनो पक्षो की सुनवाई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–6–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार बाडमेर को कमिश्नर नियुक्त कर नेखमबंदी किये जाने का आदेश पारित किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण की ओर से रेस्पो0 संख्या 1 (विद्यालय) को 3 बीघा भूमि जरिये समर्पण विलेख दिनांक 14–6–89 से निशुल्क दी थी, उस वक्त जो तरमीम की गई थी, वह अलग है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे नेखमबंदी के लिए जो आवेदन पेश किया था उसमे तरमीम बताई गई है, वह गलत है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को जो जमीन दी गई थी वह डब्लू आकार की थी परंतु अब जो नेखमबंदी के लिए आवेदन किया गया है, वह अपीलार्थीगण की भूमि मे से चौकोर आकृति की तरमीम कर नेखमबंदी के आदेश पारित किये है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध सम्मनो की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसमे नोटिस स्वयं से तामिल नही कराये गये है इसलिए नोटिस तामिल प्रोपर नही होते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य हैं ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि पर नेखमबंदी का आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि मौके पर कम है तथा अपीलांटगण की भूमि अधिक होने से अपीलांट की भूमि मे घुसकर नेकमबंदी की कार्यवाही का आदेश पारित किया है तथा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र के साथ सीमांकन रिपोर्ट पेश नही की गई थी जबकि नेखमबंदी की कार्यवाही से पूर्व सीमाज्ञान की रिपोर्ट होना आवश्यक है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–6–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 प्रधानाचार्य, रा0 उ0 मा0 विद्यालय रामसर का कुआं बाडमेर की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब मय दस्तावतेजात जो रेकर्ड पर उपलब्ध है । लिखित जवाब मे उल्लेख किया गया है कि रा0उ0मा0विद्यालय रामसर का कुंआ पंचायत समिति बाडमेर को जिला कलेक्टर बाडमेर के पृथक पृथक 3 आदेशो के द्वारा क्रमशः खसरा नंबर 889/736 रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 936/810 रकबा 2 बीघा तथा खसरा नंबर 930/809 रकबा 2 बीघा कुल 7 बीघा भूमि आवंटित हुई थी परंतु किन्ही कारणो से उक्त आवंटित भूमि की चारदीवारी का कार्य नही हो सका था इस कारण से उक्त भूमि के सेढे पडौसियो से भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तथा विद्यालय भवन पर पडौसी

खातेदारान द्वारा विद्यालय की भूमि पर कब्जा करने का बार बार प्रयास किया जाता है तथा मौके पर तनाजा बना रहता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विद्यालय को आंवटित भूमि की नेखमबंदी के लिए आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 500/2018 मे उक्त खसरा नंबर 889/736 रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 936/810 रकबा 2 बीघा तथा खसरा नंबर 930/809 रकबा 2 बीघा कुल 7 बीघा भूमि के चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमिश्नर नियुक्त कर उक्त नेखमबंदी कार्यवाही करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस के जरिये सूचित करते हुए एक तिथी मुकर्रर कर पक्षकारान की उपस्थिति मे नेखमबंदी करने के आदेश दिनांक 18–6–2018 को पारित किये गये । जिसकी पालना मे दिनांक 25–6–2018 को तहसीलदार बाडमेर द्वारा गठित टीम नायब तहसीलदार बाडमेर प्रथम, आई.एल.आर. राणीगांव, आई.एल.आर. चवा एवं पटवारी बेरीवाला तलां द्वारा प्रार्थी, विप्रार्थीगण, सेढा पडोसियान एवं मौतबिरान के रूबरू पक्के नेखम स्थापित किये गये । दिनांक 25–6–2018 की मौका फर्द अनुसार खसरानंबर 930/809 की लट्ठा ट्रेस मे तरमीम व मौके पर स्कूल बाउण्डरी के निर्माण कार्य मे अंतर पाया गया । मौके पर स्कूल बाउण्डरी के निर्माण कार्य को सही मानते हुए मौके पर उपस्थित पक्षकारो की उपस्थिति मे आपसी सहमति के आधार पर शांतिपूर्वक नेखमबंदी की कार्यवाही दिनांक 25–6–2018 को सम्पन्न की जा चुकी है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के साथ विद्यालय को भूमि आवंटन के आदेश, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–6–2018, तहसीलदार द्वारा नेखमबंदी बाबत टीम गठन आदेश दिनांक 20–6–2018, मौका फर्द दिनांक 25–6–2018, आदि पेश की जो शामिल पत्रावली है । अंत मे वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–6–2018 एवं उसकी पालना मे सम्पन्न कीं समस्त कार्यवाही विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–6–2018 एवं वर्तमान अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, रेस्पो0 संख्या 1 प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसर का कुंआ द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब एवं उसके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा उनके पृथक पृथक आदेशो के जरिये रेस्पो0 संख्या 1 रा0 उ0 मा0 विद्यालय रामसर का कुआं के विद्यालय भवन एवं खेल मैदान लिए खसरा नंबर 889/736 मे रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 936/810 मे रकबा 2 बीघा तथा खसरा नंबर 930/809 मे रकबा 2 बीघा कुल 7 बीघा भूमि का

आंवटन किया गया था । उक्त खसरा नंबरान मे से 930/809 मे रकबा 2 बीघा एवं 936/810 मे रकबा 2 बीघा कुल 4 बीघा भूमि पर विद्यालय का कब्जा था परंतु खसरा नंबर 889/736 की 3 बीघा भूमि पर कब्जा नही होने से उपरोक्त भूमि के सेढा सेढ ही वर्तमान अपीलांटगण व अन्य प्रत्यर्थीगण की भूमि आई हुई है । प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं अपीलार्थीगण तथा अन्य प्रत्यथीगण के खेतो के बीच किसी प्रकार की कोई पक्की माठे तथा सीमा चिन्ह नही होने के कारण पक्षकारो के बीच कब्जे को लेकर तनाजा एवं विवाद बना रहता है तथा विद्यालय भवन के चारो ओर पक्के नेखम कायम न होने के कारण लोग अवैद्य रूप से कब्जा करने पर प्रयासरत रहते है इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उन्हे आवंटित उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया तथा प्रकरण को दिनांक 14–6–2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प अटल सेवा केन्द्र, रामसर का कुआं पर रखने का उल्लेख नोटिस मे किया गया । जिस पर पक्षकारो के सम्मन तामिल हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थनापत्र के अप्रार्थीगण संख्या 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 13 मौके पर उपस्थित हुए तथा उनकी उपस्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर मौजा रामसर का कुआं पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील बाडमेर के खसरा नंबर 889/736 मे रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 936/810 मे रकबा 2 बीघा तथा खसरा नंबर 930/809 मे रकबा 2 बीघा कुल 7 बीघा भूमि के चारो ओर पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमिश्नर नियुक्त कर प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर नेखमबंदी करने के निर्देश पारित किये गये ।

जिसकी पालना मे तहसीलदार बाडमेर ने उनके आदेश दिनांक 20–6–2018 द्वारा उक्त कार्य के लिए एक टीम का गठन किया गया तथा दिनांक 25–6–2018 को तहसीलदार बाडमेर द्वारा गठित टीम जिसमे नायब तहसीलदार बाडमेर प्रथम, आई.एल.आर. राणीगांव, आई.एल.आर. चवा एवं पटवारी बेरीवाला तलां ने मौके पर प्रार्थी, विप्रार्थीगण, सेढा पडोसियान एवं मौतबिरान के रूबरू पक्के नेखम स्थापित किये गये । जिसके संबंध मे दिनांक 25–6–2018 को तैयार की गई मौका फर्द अनुसार खसरा नंबर 930/809 की लट्ठा ट्रेस मे तरमीम व मौके पर स्कूल बाउण्डरी के निर्माण कार्य मे अंतर पाया गया । मौके पर स्कूल बाउण्डरी के निर्माण कार्य को सही मानते हुए मौके पर उपस्थित पक्षकारो की उपस्थिति मे आपसी सहमति के आधार पर शांतिपूर्वक नेखमबंदी की कार्यवाही दिनांक 25–6–2018 को सम्पन्न की जा चुकी है ।

वर्तमान अपील मे अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि उनके द्वारा विद्यालय के पक्ष मे उनके खातेदारी के खसरा नंबर 736 मे से 3 बीघा भूमि जो समर्पण की गई थी तथा उस समय नक्शे मे जो तरमीम की गई थी, वह W आकार मे थी परंतु रेस्पो0 संख्या 1 के तरमीम के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने चौकोर आकृति की तरमीम पर नेखमबंदी का आदेश पारित कर दिया, जो गलत है परंतु अपीलांट अधिवक्ता ने यह साबित नही किया कि इससे उनका कितना रकबा कम हुआ है।

इस संबंध मे यह भी उल्लेखनीय है कि जब वर्तमान अपील मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश की पालना मे दिनांक 25–6–2018 को मौके पर बनी स्कूल बाऊण्डरी के निर्माण को सही मानते हुए मौके पर उपस्थित मौतबिरानो की सहमति से पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है तथा स्कूल कोई व्यक्ति विशेष की नही होकर राजकीय सम्पति है, जिसमे गांव के ही विद्यार्थी पढते है ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–6–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर